सुण्डाराम / सन्तरा वगै०

यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
.19	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान वकील अपीलांट को सुना गया। विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत न्यायालय ने हमारा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. एक्ट यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रकरण समाप्त हो चुका है। जब कि मूल वाद अभी भी विचाराधीन है। इतना ही नहीं, अपीलाधीन निर्णय कैम्प में पारित किया है, जिसकी सूचना हमको नहीं दी गई। इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है। देरी को कन्डोन कराने हेतु मैंने धारा 5 मियाद कानून का प्रा० पत्र पेश किया है। तहत निर्णय विधि-सम्मत नहीं है। अत: अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर किया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद पर नरम रूख अपनाना चाहिये। अत: प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाया जाकर देरी को कन्डोन किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलांट ने दौराने बहस वाद सं. 167/2014 उनवान सुण्डाराम बनाम सन्तरा	

लगातार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील
अलवर [राज०]

हुक्म या कार्यवाही

तारीख हुक्म	
	की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियां पेश की है। जिनके अनुसार उक्त वाद प्रकरण के आगामी पेशी दि. 29.11.19 अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय पारित होने के समय मूल वाद प्रकरण विचाराधीन था और अपीलांट द्वारा अपील में पेश की गई मूल वाद प्रकरण की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियों के अनुसार मूल वाद प्रकरण में आगामी पेशी दि. 29.11.19 नियत है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.5.18 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि धारा 212 RT एक्ट के प्रा० पत्र में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर मेरिटस पर निर्णय पारित करें। अपीलांट वास्ते सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में दि. 12.4.19 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो